

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 26-11-18

संख्या-12/प0-(मू0को0)-5003/15-सा0प्र0-15307/श्री संजय शर्मा, वि0प्र0से0, कोटि कमांक-981/11, गृह जिला- मुंगेर की सेवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय उप समाहर्ता, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

वि. 33/0
26/11/18

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)-5003/15-सा0प्र0-15307/पटना-15, दिनांक- 26-11-18

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषांग/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि श्री शर्मा के स्थानान्तरण/पदस्थापन के अनुरूप धारित पद का प्रभार त्याग करने एवं अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करने की कार्रवाई आज ही सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

वि. 33/0
26/11/18

सरकार के अपर सचिव